प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड–पिथौरागढ़।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन विभाग,
पिथौरागढ़।

पत्रांकः–665/ग्रा0नि0वि0/ 2016–17/दिनांक 11-08-2016।

विषयः– **गोगिना सल्ला मोटर मार्ग से चिंगरी पन्ना चौड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.77 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग को प्रत्यावर्तन विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनु सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 498(1)/X-4-16/1(154)/2016/दिनांक 23.06.2016 के द्वारा प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/17778/2016 में सभी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत् है–

1. प्रस्ताव के फार्म–ए के भाग–1–बी–2.4 में प्रस्ताव में ऑनलाइन मक डिस्पोजल का कम्पोनेन्ट वाइज ब्रेकअप कर पुनः अपलोड किया जा रहा है।

2. मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित भूमि के समस्त बिन्दु सिविल सोयम एवं वन पंचायत के अन्तर्गत पड़ते है। चूँकि यह प्रस्ताव 7 मी0 की चौड़ाई में गठित किया गया है तथा समस्त मक डिस्पोजल के बिन्दु इस प्रस्ताव में प्रस्तावित भूमि की चौड़ाई के अर्न्तगत ही आते है।तथा मक डिस्पोजल हेतु आवश्यक क्षेत्रफल निर्माणाधीन सड़क के प्रस्तावित क्षेत्रफल के अंर्तगत ही पड़ता है जिसका क्षेत्रफल प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया हैं। अतः अनापत्ति से संबधित प्रपत्र (FRA) पूर्व में ही अपलोड किये गये है।

3.ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र पर संबधित अधिकारी की पठनीय मोहर व हस्ताक्षर कर NOC को पुनः अपलोड किया जा रहा है।

4. प्रस्ताव के फॉर्म ए के भाग–1 (X) में वन भूमि हस्तांतरण पूर्व में भूलवश एक वर्ष अंकित हो गया था।जिसको सुधार कर पुनः अपलोड किया जा रहा है।

5.प्रारूप 3 भाग 2 के प्रपत्र को सुधार कर पुनः अपलोड किया जा रहा है।

भवदीय
अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड–पिथौरागढ़।

Sugyrol ji letter